राजस्व अपील संख्या : 67/2024
उनवान : डायाराम बनाम विमला व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 67/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/219

प्रार्थी :–

1. डायाराम पुत्र श्री लखमाराम जाति मेघवाल निवासी रामदेवजी का बड़ावास करनवा तहसील बाली जिला पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. विमला पत्नि श्री रुपाराम जाति मेघवाल निवासी सादडी तहसील देसूरी जिला पाली राज.
2. ममता पुत्री पोकरराम पत्नी तुलसाराम जाति मेघवाल निवासी करनवा हाल बिरोलिया तहसील बाली जिला पाली राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील कार्यालय बाली जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 3828 दिनांक 03.11.2023 जो तहसीलदार बाली द्वारा स्वीकृत किया गया के विरुद्ध पेश की गई।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौहान एवं रघुवीरसिंह चौहान।

–:निर्णय:–

दिनांकः 11.02.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर मौजा सेवाड़ी के नामान्तरकरण संख्या 3828 दिनांक 03.11.2023 के विरुद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील अनुसार मौजा सेवाडी के वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 3828 दिनांक 03.11.2023 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि श्री लखमाराम के तीन पुत्र थे 1. डायाराम 2. पोकरराम 03. प्रकाश कुमार इनकी पुश्तैनी भूमि गांव सेवाडी की सरहद खसरा नम्बर 2424/2 व 2425/1 कुल रकबा 2.3800 हैक्टर की भूमि आई स्थित है। उक्त तीनो भाईयों में से पोकरराम का स्वर्गवास दिनांक 23.10.2015 को हो गया, उनकी पत्नी विमला रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से एक पुत्र हुआ व पहली पत्नी से एक संतान ममता हुई। पति पोकरराम की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने नाता विवाह सादडी निवासी रुपाराम से कर लिया व वर्तमान में उसके साथ बहैसियत पत्नी दाम्पत्य जीवन बिता रही है, उसका पोकरराम के परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहा। उसने नाता विवाह करते समय पुत्र कुन्दन व सौतेली पुत्री ममता को अपीलाण्ट को सुपुर्द कर चली गई उक्त दोनो की परवरिश अपीलाण्ट ने की व पुत्र कुन्दन का स्वर्गवास दिनांक 06.12.2022 को हो गया। पुत्री ममता की शादी अपीलाण्ट ने बिरोलिया तहसील बाली के तुलसाराम से किया जो अभी बिरोलिया ही रहती है एवं दिमागी संतुलन खराब होने से बिमार है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने फर्जी शपथ पत्र पेश कर स्वयं को स्वर्गीय पोकरराम का वारिस

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 67/2024

उनवान : डायाराम बनाम विमला व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

बताकर राजस्व कर्मचारियों के साथ सांठ–गांठ कर विरासत में स्वयं को व ममता को उसके परिवार का सदस्य बताकर नामान्तरकरण संख्या 3828 दिनांक 03.11.2023 को रेस्पोडेण्ट संख्या 3 से स्वीकृत करवा लिया गया इसकी जांच नहीं की गई न ही किसी से पुछताछ की गई। जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 नाता विवाह कर चुकी है व उसका पोकरराम के परिवार से कोई संबंध ही नहीं रहा है।

अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 3828 दिनांक 03.11.2023 निरस्त फरमावे।

प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को नोटीस जारी किये गए तदन्तर अधिवक्ता अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए पूर्व आदेशिका दिनांक 02.08.2024 द्वारा सि.प्र.स. के आदेश 05 नियम 20 के अन्तर्गत दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन के जरिए रेस्पोडेण्ट संख्या 01 एवं 02 की तामीली की अनुमति प्रदान की गई।

दैनिक समाचार पत्र दिनांक 31.08.2024 में प्रकाशन की तारीख से आदिनांक रेस्पोडेण्ट संख्या 01 एवं 02 ने उपस्थिति नहीं दी। पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत भी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 एवं 02 द्वारा उपस्थिति नही देने पर काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 3828 दिनांक 03.11.2023 को अपास्त करने का निवेदन किया गया।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

1. RRT 2024 (2) Tammu Vs. Pokhar (BOR) 1090

सर्वप्रथम, अपील का मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु के स्थान पर गुणावगुण आधार पर विनिश्चय करने के दृष्टिगत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर हस्तगत अपील को म्याद शुमार घोषित किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा काबिल अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान उठाए तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया। तहसीलदारा बाली द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड (जरिये पत्रांक भू.अ./2024/2856 दिनांक 28.10.2024) के अवलोकन से जाहिर होता है कि जैर आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 3828 दिनांक 03.11.2023 दर्ज करते समय हल्का पटवारी द्वारा टिप्पणी की गई कि "खातेदार पोकरराम फौत होने से मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पुत्र कुन्दन फौत होने से मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस ममता कुमारी के शपथपत्र अनुसार वारिसान का नामान्तरकरण दायर कर वास्ते जांच श्रीमान जी को पेश है (टिप्पणी दिनांक 01.11.2023)।"

अर्थात पटवारी द्वारा मृतक खातेदार पोकरराम की मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय उत्तराधिकारीयों या वारिसानों के संबंध में ममता कुमारी के शपथ पत्र मात्र को आधार बनाया गया और इस संबंध में अन्य किसी प्रकार की सरसरी जांच यथा मजमा–ए–आम अथवा सहखातेदारों से जानकारी प्राप्त करना इत्यादि नहीं की गई। इस संबंध में राजस्व विभाग के परिपत्र संख्या प.5(16)राज/ग्रुप–4/81/12 दिनांक 07.08.1981 एवं राजस्व मण्डल के परिपत्र क्रमांक/राम/भू.अ./जी–3/174/99/3635–66 दिनांक 29.05.1999 द्वारा उत्तराधिकारी सबंधि नामान्तरकरण के संबंध में पटवारी एवं नामान्तरकरण से संबंधित अधिकारियों को ऐसे नामान्तरकरणों के सन्दर्भ में जांच पड़ताल करने के आज्ञापक निर्देश दिए गए हैं।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 67/2024

उनवान : डायाराम बनाम विमला व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

किन्तु जैर आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 3828 दिनांक 3.11.2023 में ऐसी कोई जांच किए बिना ही मात्र शपथपत्र के आधार पर मृतक पोकरराम के वारिसों का निर्धारण कर पटवारी द्वारा नामान्तरकरण दर्ज किया गया तथा भू.अ. निरीक्षण द्वारा भी हल्का पटवारी की रिपोर्ट तथा उसी शपथपत्र के आधार पर उक्त नामान्तरकरण की जांच की टिप्पणी अंकित की गई तथा तहसीलदार बाली द्वारा दिनांक 03.11.2023 को स्वीकृत किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 133,134 एवं 135 में नामान्तरकरण का प्रावधान है। इस बारे में पूर्ण वैधानिक प्रक्रिया का विवरण राजस्थान भू–राजस्व (भू अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 129 से 148 में दिया हुआ है। उपरोक्त वैधानिक उपबन्धों में कहीं भी शपथपत्र के आधार पर विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक करने का उल्लेख नहीं है।

यद्यपि अपीलाण्ट द्वारा जैर आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 3828 दिनांक 03.11.2023 को इस आधार पर भी चुनौति दी गई है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 श्रीमती विमला द्वारा पूर्व खातेदार पोकरराम की मृत्यू उपरान्त "नाता विवाह" कर लिया गया एवं इस प्रकार पूर्व पति पोकरराम की सम्पति में हक हिस्सा प्राप्त करने की वैधानिक अधिकारी नहीं थी एव जरिए आलोच्य नामान्तरकरण–उसका नाम दर्ज कर दिया गया। किन्तु अपीलाण्ट ने अपील मीमों के संलग्न तथा सुनवाई के दौरान ऐसा कोई प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जो उनके इस "नाता विवाह" के तर्क की पृष्टि कर सकें।

ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा यह निर्धारण करने की स्थिति में नहीं है कि "नाता विवाह" की स्थिति में रेस्पो. संख्या 01 का विवादग्रस्त आराजी में हक हकूक रहेंगें अथवा नहीं। किन्तु पूर्व पेराग्राफ में अंकित विवेचन उपरान्त यह अवश्य स्पष्ट है कि जैर आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 3828 दिनांक 03.11.2023 स्वीकृत करने से पूर्व "मृतक पोकरराम के वारिसानों के संबंध में आवश्यक जांच राजस्व कार्मिकों द्वारा नहीं दी गई एवं मात्र शपथ पत्र के आधार पर विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया, जिसका भू–राजस्व अधिनियम 1956 तथा भू–अभिलेख नियम, 1957 में कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है।

अतः, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत नामान्तरकरण अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर मौजा सेवाडी तहसील बाली के खसरा संख्या 2424/2 तथा 2425/1 कुल रकबा 2.38 हैक्टेयर के संबंध में पारित नामान्तरकरण संख्या 3828 दिनांक 03.11.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाली को रिमाण्ड कर निर्देश दिए जाते है कि विवादग्रस्त भूमि के सहखातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः न्यायोचित निर्णय पारित करें। साथ ही अपीलार्थी को निर्देश दिए जाते है कि अपने तर्कों की पुष्टि में आवश्यक दस्तावेज पेश करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली के समक्ष उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली, जिला–पाली

Scanned with OKEN Scanner